एक नजर में

सांप ने महिला को काटा, मौत

इंदौर . खुडैल थाना क्षेत्र के तिल्लौर गांव में रहने वाली एक महिला को देर रात सांप ने काट लिया . परिजन उसे एक के बाद एक अस्ताल में लेकर पहुंचे मगर उसे उचित इलाज नहीं मिला जिससे उसकी मौत हो गई . मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज जांच शुरु की . खुडैल पुलिस ने बताया कि ग्राम तिल्लौर में रहने वाली 25 वर्षीय अनिता पति सुनील राठौर को गुरुवार की देर रात सांप ने काट लिया था . जब महिला ने चिल्ला कर परिजनों को बताया तो परिजन उसे एक अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर वहां से उसे दूसरे अस्पताल भेज दिया गया, वहां भी उसे प्रापर इलाज नहीं मिला . इसके बाद परिजन उसे अन्य दो अस्पतालों में भी लेकर पहुंचे . वहां भी उसे प्राथमिकी उपचार के बाद अन्य अस्पताल जाने की बोल दिया . इस पर परिजन उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर रात भर भटकते रहे . मृतक अनिता के देवर अनिल ने नवभारत को बताया कि रात में भाभी की चीख सुनकर मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वहां देखा कि एक सांप उनके पास से जाता हुआ दिखा . उनके पैर मे सांप के काटने के निशान भी दिखाई दे रहे थे . मेने घर वालों की मदद से रात में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे मगर एक के बाद एक कर चार अस्पताल वालों ने उन्हें भर्ती कर उचित इलाज देने के बजाय अन्य अस्पतालों में भटकाते रहे . उन्हें चार अस्पतालों में सही उपचार नहीं मिल पाया . आखिर में हम लोग उन्हें एमवाय लेकर पहुंचे, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी . एमवाय के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया . मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की .

टीचर ने गरम प्रेस से स्टूडेंट को जलाया

इंदौर . बड़ागणपति क्षेत्र में रहने वाली एक टीचर ने ट्यूशन पढ़ाने वाले स्टूडेंट को गरम प्रेस से जला दिया . स्टूडेंट की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की . मल्हारगंज पुलिस ने बताया कि बड़ा गणपति क्षेत्र के सीताराम पॉर्क कॉलोनी में रहने वाली दिपीका जैन के खिलाफ एक स्टूडेंड की माँ मोहनी पवार ने बताया कि उनका बेटा दिपीका जैन के यहां ट्यूशन पढ़ने जाता है, वह शाम साढ़े सात बजे घर आया तो मैंने टीचर से उसका कारण पूछा तो टीचर दिपीका जैन ने अपने घर में गरम प्रेस से मेरे बेटे विधान सिंह पवार के दहिने हाथ कि भुजा पर चेटा दी . गरम प्रेस से जलने से चोट आ गई . मैने घर जाकर सारी बात अपने पति को बताई तो पति के साथ थाने पर रात 11 बजे रिपोर्ट लिखावाने आई . पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर आरोपी टिचर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की .

कावड़ यात्रा ने शहर को बनाया शिवमय

इंदौर। श्रद्धा और आस्था से लबरेज बाणेश्वरी कावड़ यात्रा ने शुक्रवार सुबह से दोपहर तक शहर के मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र को शिवमय बनाए रखा . यात्रा के साथ चल रही चार प्रमुख झांकियां तो आकर्षण का केन्द्र बनी ही, जगह-जगह स्वागत मंचों से हुई पुष्प वर्षा ने भी इस यात्रा को आत्मीयता के रंग में सराबोर बनाए रखा . राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, मधु वर्मा, मालिनी गौड़, महेन्द्र हार्डिया, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, आकाश विजयवर्गीय, जयपालसिंह चावड़ा सहित नगर निगम के अनेक पार्षदों ने भी यात्रा में शामिल होकर कावड़ उठाने का पुण्य लाभ प्राप्त किया . यात्रा प्रभारी दीपेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि महूनाका से कलेक्टोरेट होते हुए जब यात्रा मच्छी बाजार, यशवंत रोड पहुंची तो अनेक मुस्लिम संगठनों की ओर से भी संयोजक गोलू शुक्ला को साफा बांधकर सम्मानित किया गया . सदर बाजार में भी सर्व धर्म एकता मंच एवं मुस्लिम संगठनों ने भी यात्रा का जोशीला स्वागत किया .

बास्केटबॉल में सिल्क एक्सपो का आयोजन

इंदौर . बास्केटबॉल कॉम्पलेक्स में उमंग सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया है . एक्सपो पटोला के स्टॉल पर न केवल डबल इक्कत की पटोला साड़ी, बल्कि सिंगल इक्कत की पटोला साड़ियां भी मिल रही है . एक्सपो की शान श्री लक्ष्मी सिल्क सोसायटी बेंगलुरु की कांजीवरम साड़ियां भी बढ़ा रही है . उमंग सिल्क एक्सपो के आशीष गुप्ता ने बताया कि एक्सपो 30 जुलाई तक चलेगा . इसमें 45 स्टाल लगाए गए हैं, जिसमें जयपुर की प्रिंटेड बेडशीट, बनारस का बनारसी सिल्क, भागलपुर का हैंडलूम मटेरियल, असम का मूंगा सिल्क, पंजाब के सूट और फुलकारी दुपट्टे, रामेश्वर की रामेश्वरम साड़ियां, जयपुर का हैंडलूम और सूट के साथ ही बटिक प्रिंट इंदौर के लोगों को मिलेगा .

नाटक गगन दमामा बाज्यो का मंचन आज

इंदौर . ख्यात थिएटर कलाकार,अभिनेता व कवि पीयूष मिश्रा द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक गगन दमामा बाज्यो . नाटक का मंचन 27 जुलाई शनिवार को शहर के लाभ मंडपम ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। यह नाटक भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों में से एक शहीद भगत सिंह की प्रेरक जीवन कहानी को दर्शाता है . नाटक का आयोजन अनमास्क स्टूडियो दिल्ली द्वारा किया जा रहा है . आयोजक अर्जुन सहनी एवम साक्षी नागपाल ने बताया संगीतमय नाटक गगन दमामा बाज्यो . भगत सिंह के जीवन पर आधारित है तथा श्रोताओं को क्रांति के युग में ले जाने की शक्ति रखता है . इस नाटक में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं को मधुरता से व्यक्त करने के लिए श्री मिश्रा द्वारा लिखित और संगीतबद्ध क्रांतिकारी, भावुक और दिल को छू लेने वाले गीत भी शामिल हैं . नाटक का सह निर्देशन हेमंत पांडेय ने किया है .

प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की सड़क वेंटीलेटर पर

- घायल पड़ा चार हजार मरीजों के आने जाने का रास्ता
- नौ करोड़ के बजट का डोज मंजूर, सड़क का इलाज अधूरा

धर्मेंद्र सिंह चौहान

इंदौर. प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा शिवाजीराव होल्कर चिकित्सालय परिसर की सडक़ों की हालत बद से बदतर हो चुकी है. अस्पताल में आने-जाने वाले मरीजों व उनके परिजनों के साथ ही स्टॉफ को भी घायल पड़ी सडक़ से होकर गुजरना पड़ रहा है. सडक़ के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ने विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर 9 करोड़ रुपए के बजट का डोज तो मंजूर कर दिया. मगर यहां की सडक़ों का इलाज कब होगा यह कोई नहीं जानता.

एमवायएच परिसर में स्थित कैंसर अस्पताल, चाचा नेहरु, सुपर स्पेशलिटी के साथ ही अन्य जगहों पर आने जाने के लिए 6 किलोमीटर की वर्षों पुरानी सडक़ इन दिनों बदहाल हो चुकी है. होलकर शासन काल में डाली गई ड्रेनेज की पाइप लाइन कई जगह से डेमेज होने के कारण इसका पानी सडक़ पर फैलने लगता है. इस समस्या का स्थाई इलाज करने के लिए कॉलेज प्रशासन ने पूरे परिसर में नई पीवीसी की पाइप लाईन डालने का काम बारिश पूर्व शुरू किया. पाइप लाईन डालने के दौरान सडक़ का जो ऑपरेशन किया था उस पर न तो पेंचवर्क के टांके लगाए और न ही उसकी प्लास्टिक सर्जरी की. ऐसे में अस्पताल परिसर में आने जाने वालों को इस उबड़-खाबड़ सडक़ से ही होकर गुजरना पड़ रहा है. यहां आए दिन मरीज-परिजनों के साथ ही डॉक्टरों के साथ ही अन्य स्टॉफ के लोगों को संभल कर चलना पड़ रहा है.

फैक्ट फाइल

- एमवाय की ओपीडी 4 हजार मरीज
- कैंसर अस्पताल की ओपीडी 200 मरीज
- चाचा नेहरु में 300 बच्चों की ओपीडी
- सुपर स्पेशलिटी 150 मरीजों की ओपीडी
- 6 किलोमीटर एरिया की सडक़

सीमेंट नहीं आने से फिर काम हुआ बंद

कैंसर अस्पताल के पास वाली सड़क कैंसर धर्मशाला से क्वाटर्स के सामने से होते हुए शासकीय नर्सिंग कॉलेज चौराहा, चाचा नेहरु अस्पताल से सुपर स्पेशलिटी व मुख्य मार्ग की हालत अत्यन्त खराब है . ड्रेनेज लाईन डालने के बाद न तो इसका पेंचवर्क किया गया न ही इसी ठीक की जा रही है . बारिश पूर्व से ही इसका काम बंद पड़ा हुआ है . सूत्र बताते हैं कि कुछ दिन पहले सुपर स्पेशलिटी के पीछे की तरफ वाली सडक़ का काम शुरु हुआ था मगर सीमेंट नहीं आने की वजह से फिर बंद हो गया . हालत यह है कि पूरे परिसर में ही कीचड़ व जलजमाव ही नजर आता है .

पेंचवर्क भी नहीं कर रहे

एमवाय अस्पताल के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर नवभारत को बताया कि यहां की सडक़ बनाने के लिए छह माह पहले स्वीकृती देते हुए 9 करोड़ रुपए का बजट भी पास हो चुका है . बावजूद इसके सडक़ पर न तो पेंचवर्क किया जा रहा है और न ही नई सडक़ बनाई जा रही है, नतीजतन खुदी हुई सडक़ यहां आने-जाने वालों की मुसीबत का सबब बन गई है . बारिश के चलते सडक़ पर कई जगह पानी भर जाता हैं, तो कई जगह कीचड़ होने से कई बार मरीज व परिजन गिर रहे हैं . इतना ही नहीं बाइक सवार तक फिसल रहे है . नई ओपीडी से अस्पताल परिसर में स्ट्रेचर पर ले जाए जाने वाले मरीजों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है . जब मरीजों को यहां से वहां शिफ्ट किया जाता हैं तो एक स्ट्रेचर को दो-दो वार्ड बॉय मिल कर संभालते है . अस्पताल में मरीजों का इलाज तो हो रहा हैं, मगर यहां की वेटिंलेटर पर पड़ी सडक़ को सही इलाज कब मिलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है .

सीसीटीवी फुटेज देखकर पकड़ाए डकैत

- बाणगंगा व सांवेर में डाली थी डकैती
- पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार

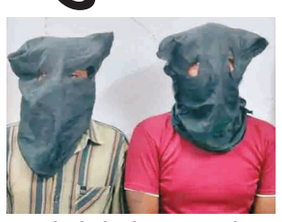

इंदौर. पिछले दिनों बाणगंगा व सांवेर क्षेत्र में के आश्रमों में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने दर्जन भर सीसीटीवी कैमरों के आधार पर डकैतों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि शनिवार 13 जुलाई की देर रात सांवेर थाना क्षेत्र स्थित एक आश्रम के महंत अमृतगिरी महाराज के साथ मारपीट कर उन्हें व उनके चेलों को बंधक बनाते हुए आश्रम में लुट की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस इस मामले में जांच कर रही रही थी कि आरोपियों ने बाणगंगा थाना क्षेत्र में भी स्थित एक आश्रम कमलदास महाराज व उनके साथियों के साथ ही आश्रम को अपना निशाना बनाते हुए इसी तरह की एक वारदात को और अंजाम दे दिया. दोनों ही जगह एक जैसे वारदात होने के कारण शहरी व ग्रामीण पुलिस आरोपियों का पता लगाने ले लिए सक्रिय हो गई थी. चूंकि घटना दोनों ही आश्रम सुनसान जगहों पर होने के कारण आसपास सीसीटीवी कैमरें नहीं लगे थे, इस कारण दूरस्थ जगहों पर लगे दर्जन भर सीसीटीवी कैमरों को देखने के बाद पुलिस को कुछ कैमरों में आरोपियों कि मूवमेंट के फुटेज निकाले गए. जिसमें आरोपी साईकल पर जाते हुए दिखाई दिए. पुलिस उनकी पहचान के लिए पुलिस रतलाम तक जा पहुंची और वहां से दो आरोपियों मोहम्मद गुलाम अली व साहिल उर्फ मुजार हुसैन को अपनी हिरासत में ले कर उनसे पूछताछ शुरु की, तो आरोपियों ने अपने साथियों के नाम सलीम उर्फ अब्दुल भंवर पिता मुजार हुसैन तथा फिला पिता मोहम्मद अली के साथ ही विक्की उर्फ नक्शे हसन पिता मुजाह हुसैन और अमन पिता विक्की हुसैन के नाम बताए, पुलिस सभी की तलाश कर रही है.

तमाशा दिखाकर रैकी करते थे आरोपी : पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी शहर के आसपास के क्षेत्रों में लोगो को खेल-तमाशा व जादूगरी के साथ ही अन्य मनोरंजन के खेल दिखा कर वहीं कहीं आस-पास अपना डेरा जमा लेते थे, इसके बाद वह पूरे क्षेत्र की रैकी करते हुए वहां लुट व डकैती और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे.

दूसरी मंजिल से गिरी चार साल की मासूम, मौत

बालकनी से झांकते समय सर के बल गिरी थी मासूम

नवभारत न्यूज

इंदौर. नंदन नगर क्षेत्र के दो मंजिला मकान की बालकनी से निचे झांक रही चार साल की मासूम सर के बल निचे गिर गई. आसपास के लोगों ने मासूम के गिर जाने से खबर परिजनों को दी. परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां से डॉक्टरों ने उसे एमवाय रैफर कर दिया. एमवाय के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरु की.

चंदन नगर पुलिस ने बताया कि घटना नंदन नगर की हैं. यहां के इमारत की दुसरी मंजिल की बालकनी कै रैलिंग पर चढ़ कर उनके घर आए मौसा-मौकी को घर से जाते समय बॉय-बाय कर रहे थी, इसी बीच वह झोंका आने से सर के बल निचे गिर गई. मासूम का नाम आफिया खान है. आफिया के परिजनों ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ उस समय मासूम की छोटी बहन उसकी मां के साथ घर के अंदर चले गए थे. आफिया की माँ ने यह समझा कि जैसे छोटी बहन उनके पीछे घर के अंदर आ गई वैसे ही आफिया भी उसके साथ अंदर आ गई होगी, जिसके चलते माँ ने उस पर ध्यान नहीं दिया. जबकि मासूम आफिया के पिता फल-फ्रुट का ठेला लगाते हैं इसलिए वह हादसे के समय घर पर नहीं थे, उन्हें फोन पर सूचना देकर बुलाया था. पुलिस मामले में जांच कर रही है.

बगैर ओटीपी आए बैंक खाते से कट गई रकम

इंदौर. शहर के डॉक्टर नामी डॉक्टर के साथ सुबह साढ़े पांच बजे सायबर ठगों ने धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे दिया. डॉक्टर अतुल बंडी जब सो कर उठा उन्होंने अपना मोबाइल देखा तो उसमें उनके खाते से दो लाख 90 हजार रुपए ट्रासंफर होने का मैसेज आया.डॉक्टर बंडी ने अपने साथ हुए हादसे की शिकायत सायबर ब्रांच में की. सायबर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की.

सायबर ठगी के मामले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे है. इन्हें रोकने के लिए पुलिस द्वारा समय समय पर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को बताया जाता है कि वह किसी से भी अपने मोबाइल पर आए ओटीपी को शेयर न करें, न ही किसी लिंक पर मांगी जाने वाली जानकारी दी जाए. मामले में डॉक्टर अतुल बंडी का कहना हैं कि न तो मैंने किसी को ओटीपी दिया और न ही किसी लिंक पर किसी को जानकारी दी. जब मेरा बैंक अकाउंट विजय नगर स्थित इंडियन बैंक की शाखा में है. डॉक्टर अतुल बंडी ने नवभारत को बताया कि शुक्रवार की सुबह साढ़े पांच बजे सो कर उठा, उसके बाद अपना मोबाइल चेक किया तो मेरे इंडियन बैंक, विजय नगर, इंदौर के बैंक खाते से रू 2,90,000 फ्रॉड के अंतर्गत ट्रांसफर हो गए।

बुजुर्ग से चेन छीनी

इंदौर . एरोड्रम पुलिस ने बताया कि सदगुरु पैराडाइज बाबा श्री गार्डन के पीछे रहने वाली 60 वर्षीय मधु पति प्रमोद कुमार गंगवाल ने थाने पहुंच कर पुलिस को बताया कि जब में सुबह अपने घर से फाइलिंग सिटी जैन मंदिर पर दर्शन करने के लिए पैदल पैदल जा रही थी तभी अमृत ग्रीन गार्डन गेट के पास दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आए और पीछे से मेरे गले में पहनी हुई सोने की चेन झपटा मार कर सुपर कॉरिडोर की तरफ भाग गए . पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरु की .

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री (IIFL-HFL) कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज - चतुर्थ, गुड़गांव - 122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालय- 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड, इंदौर- 452001, मध्यप्रदेश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद अधिनियम) के तहत . जबकि आईआईएफएल - एचएफएल के अधिकृत अधिकारी (एओ) ने निम्नलिखित ऋण खातों/prospect संख्या में अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल - एचएफएल के बकाया की वसूली के लिए 'जैसा है जहां है और जैसा है आधार पर' बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी- https-//www.iiflonehome.com

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिकी कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
1. श्री दिलीप भाटी 2. श्रीमती संजू भाटी (प्रोस्पेक्ट नं. IL10358436)	13 अक्टूबर- 2023 रु. 2,08,346/- (रु. दो लाख आठ हजार तीन सौ छियालीस मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा जिसमें फ्लैट नंबर 505, ब्लॉक ए-09, अरावली परिसर, बिचोली हप्सी, इंदौर, 452016 शामिल है. क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में) - संपत्ति का प्रकार- बिक्री योग्य क्षेत्र, कालीन क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 377.00, 377.00	12 जुलाई- 2024	रु. 10,56,000/- (रु. दस लाख छप्पन हजार)
	बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र		कुल बकाया राशि दिनांक 04 जुलाई 2024 रु. 2,47,912/- (रु. दो लाख सैंतालीस हजार नो सौ बारह मात्र)	बयाना राशि (ईएमडी) रु. 1,05,600/- (रु. एक लाख पांच हजार छह सौ मात्र)

प्रापर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
23 अगस्त-2024, 11.00 से 14.00 बजे	28 अगस्त- 2024, 5.00 बजे	30 अगस्त- 2024, 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से किया जाना है . भुगतान करने के लिए आपको https-//www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा.

नोट- प्रत्येक संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं, शेष भुगतान के लिए, सफल बोली पर, आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना होगा. खातों का विवरण इस प्रकार है- ए) खाते का नाम- आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड, बी) बैंक का नाम- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सी) खाता संख्या-9902879xxxxx के बाद प्रॉस्पेक्ट नंबर, डी) आईएफएससी कोड- SCBL0036001, ई) बैंक का पता-स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 90 एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई-400001

नियम और शर्तें

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www.iiflonehome.com के साथ अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी, केवाईसी और पैन कार्ड की प्रति के भुगतान विवरण के साथ अपना निविदा फॉर्म जमा करना/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को "बोली वृद्धि राशि" कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार करना होगा . यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25 प्रतिशत (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर और शेष 75 प्रतिशत बोली राशि को बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना चाहिए सुरक्षित लेनदार . सभी जमा और भुगतान भुगतान के निर्धारित तरीके में होंगे .
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्क, और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों के भुगतान सहित शुल्क वहन करना पड़ता है.
5. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction के माध्यम से नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए पहले आवेदन करें. ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करना.
6. विवरण, सहायता प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता ई-मेल आईडी-care@iiflonehome.com, सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर- @ 1800 2672 499.
7. संपत्ति विवरण निरीक्षण संबंधित पूछताछ हेतु व आनलाइन बिड आदि के लिए कॉल IIFL HFL टॉल फ्री नं. 18002672499 9.30 बजे से 18.00 बजे तक सोमवार से शुक्रवार के बीच या लिखें या ई-मेल- care@iiflonehome.com.
8. उपरोक्त उधारकर्ताओं को घरेलू सामान लेने के लिए नोटिस दिया जाता है, जो 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जा लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़ा था, अन्यथा आईआईएफएल - एचएफएल परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
9. इसके अलावा ऋणी को नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुओं को एकत्र करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
10. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी स्तर पर भुगतान में चूक के मामले में, बिक्री को रद्द किया जा सकता है और पहले से भुगतान की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा (ईएमडी सहित) और संपत्ति को फिर से रखा जाएगा बिक्री के लिए .
11. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द करने या उनमें परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है . निविदा/नीलामी में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा.

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री नोटिस

उधारकर्ता को निविदा / नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति को नीलाम/विक्रय किया जाएगा तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी.

स्थान- इंदौर, दिनांक- 27 जुलाई 2024 — हस्ता./ -अधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

JANA SMALL FINANCE BANK
(A scheduled commercial bank)

रजिस्टर्ड ऑफिस : द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 व 12/2-बी, ऑफिस दोमलुर, कोरामंडला इनर रिंग रोड, नेक्सट टू ईजीएल बिजनेस पार्क, छलाघट्टा, बैंगलोर- 560071, ब्रांच ऑफिस- प्लाट नं. 306-ए, पीयू 4, स्कीम नं. 54, नियर कंट्री इन होटल, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर- 452010

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के प्रवर्तन के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रावधान नियम 8 (6) और 9 के प्रावधान के साथ पढ़ें.

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. ऋणी को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में गिरवी संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) जैसा है जहां है और जैसा है जैसा है पर आयोजित किया जाएगा निर्धारित तिथि पर यहां के तहत.

क्र.	लोन एकाउंट नं.	मूल देनदार/सह देनदार/ गारंटर का नाम	13-2 नोटिस तिथि	कब्जा तिथि	वर्तमान बकाया	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि ईएमडी रु. में	ई-नीलामी तिथि व समय	बिड जमा की अंतिम तिथि, समय व स्थान
1.	30609440000495	1. श्री अजाप सिंह पुत्र दयाराम (प्रोप. मे. अजाप दूध डेरी) 2. श्रीमती श्यामू बाई पत्नी अजाप सिंह	26.06.2023	29.05.2024	रु. 5,46,457.00 (रु. पांच लाख छियालीस हजार चार सौ सत्तावन मात्र) 23.07.2024	02.08.2024 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक	रु. 5,62,000/- (रु. पांच लाख बासठ हजार मात्र)	रु. 56,200/- (रु. छप्पन हजार दो सौ मात्र)	28.08.2024 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	27.08.2024 को 05.00 बजे से पहले जना स्माल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 306-ए, पीयू 4, स्कीम नं. 54, नियर कंट्री इन होटल, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर- 452010
	संपत्ति विवरण / अनुसूची- मकान/प्लॉट नंबर 28 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1015 वर्ग फीट (94.33 वर्ग मीटर) है, साथ ही उस पर निर्माण, खसरा नंबर 741, पीएच. नंबर 33, ग्राम पंचायत एनाबाद की सीमा के भीतर एनाबाद गांव में स्थित है . तहसील सोनकच्छ और जिला देवास (म.प्र.) से घिरा हुआ- पूर्व में- विजेंद्र सियांकी का घर, पश्चिम में- सड़क, उत्तर में- दिनेश सोलंकी का घर और दक्षिण में सड़क									
2.	30609630000303	1. श्री राजेंद्र सिंह गुर्जर पुत्र चरण सिंह 2. श्री चरण सिंह गुर्जर पुत्र लालजी 3. श्रीमती पूजा गुर्जर पत्नी राजेंद्र सिंह	24.07.2024	29.05.2024	रु. 10,74,058.60 (रु. दस लाख चौहत्तर हजार अट्ठावन व साठ पैसा मात्र) 23.07.2024	02.08.2024 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक	रु. 7,32,000/-- (रु. सात लाख बत्तीस हजार मात्र)	रु. 73,200/- (रु. तिहत्तर हजार दो सौ मात्र)	28.08.2024 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	27.08.2024 को 05.00 बजे से पहले जना स्माल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 306-ए, पीयू 4, स्कीम नं. 54, नियर कंट्री इन होटल, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर- 452010
	संपत्ति विवरण / अनुसूची- हाउस/ प्लॉट नंबर 11 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल 11 . कुल माप क्षेत्र 1200 वर्ग फीट (111.52 50 मीटर), उस पर निर्माण सहित, ग्राम साखेक पीएच नंबर 43, सरल नंबर 2275 पर स्थित, ग्रामपंचायत कांकड़दा की सीमा के भीतर तहसील सोनकच्छ और जिला देवास (म.प्र.). सीमा- पूर्व में- सड़क, पश्चिम में- स्वयं के स्वामित्व वाली भूमि, उत्तर में- रमेश और दक्षिण में- बाबूलाल									
3.	30789440000627	1. श्री मुकेश पठारिया पुत्र तोलाराम (प्रो. मे. रश्मि पठारिया फल फ्रूटी) 2. श्रीमती माधुरी पत्नी कालूराम 3. श्री कालू पठारिया, पुत्र तोलाराम	14.11.2022	12.06.2024	रु. 20,42,740.80 (रु. बीस लाख बयालीस हजार सात सौ चालीस व अस्सी पैसा मात्र) 23.07.2024	02.08.2024 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक	रु. 18,03,000/- (रु. अट्ठारह लाख तीन हजार मात्र)	रु. 1,80,300/- (रु. एक लाख अस्सी हजार तीन सौ मात्र)	28.08.2024 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	27.08.2024 को 05.00 बजे से पहले जना स्माल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 306-ए, पीयू 4, स्कीम नं. 54, नियर कंट्री इन होटल, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर- 452010
	संपत्ति विवरण / अनुसूची- मकान संख्या 257 वाली भूमि का वह टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1045.25 वर्ग फीट है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, लोधी मोहल्ला, महू-नीमच रोड वार्ड क्रमांक 13, पिथमपुर, जिला धार (मध्य प्रदेश) में स्थित है, जिसकी सीमा पूर्व में- श्री रमेश पटेल का मकान, पश्चिम में- श्री प्रसाद राव का मकान तथा उत्तर में- श्री मुसिन खान का मकान तथा दक्षिण में- श्री छगन पथरिया का मकान है .									
4.	30789440000321 व 30789670000015	1. श्री गनी पटेल पुत्र हासम पटेल (प्रोप. मे. डेरी फार्म) 2. श्रीमती जरीना पटेल पत्नी गनी पटेल	16.05.2023	21.06.2024	रु. 16,30,832.72 (रु. सोलह लाख तीस हजार आठ सौ बत्तीस व बहत्तर पैसा मात